मिस्त्रियों की भर्ती के बारे में 25 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी कब तक एकत्र कर ली जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये** संख्या LT-4049/70]

(ग) सवाल नहीं उठता।

उत्कल एक्सप्रेस का मुरैना (मध्य प्रदेश) पर ठहरना

3819. **श्री आत्म दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्कल एक्सप्रेस को मध्य प्रदेश के मुरैना स्टेशन पर ठहरने की व्यवस्था करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के लोगों को दोनों ओर से आने वाली रेलगाड़ियों के यहां न ठहरने से बड़ी असुविधा हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सप्ताह में दो दिन चलने वाली 77/78 पुरी-नयी दिल्ली उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों को 1 अप्रैल, 1970 से मौरैना स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था कर दी गयी है।

मुरैना रेलवे स्टेशन पर उपरि-पुल

3820. **श्री आत्म दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के लोग तथा विभिन्न राजनीतिक दल मुरैना रेलवे स्टेशन पर एक उपरि-पुल के निर्माण के बारे में गत कई वर्षों से मांग करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और उक्त उपरि-पुल का निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). मौरैना रेलवे स्टेशन के नजदीक, वर्तमान समपार सं० 450 की जगह ऊपरी सड़क पुल और बनाने के एक प्रस्ताव पर 1965-66 में रेलवे द्वारा विचार विमर्श किया गया था लेकिन राज्य सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस समपार को बरकरार रखा जाये और उपयुक्त स्थान पर एक और ऊपरी सड़क पुल बनाया जाये। तदनुसार, इसे एक निक्षेप कार्य मानकर ऊपरी सड़क पुल का एक अनुमान स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया, किन्तु जुलाई, 1968 में राज्य सरकार ने सूचित किया कि इस प्रस्ताव को फिलहाल, छोड़ दिया जाये। तब से इस मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।